न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 16/19

जग्गा पुत्र. श्रीकिशन जाति गुर्जर उम्र 80 वर्ष निवासी ग्राम नीमली कलां तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

अपीलांटान

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 142/17 निर्णय दिनांक 13.5.19 एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर मु0न0 341/13 निर्णय दिनांक 27.2.13)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री भोलाशंकर शर्मा
2. रेस्पोटेटान की और से पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 04.10.2019

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0न0 142/17 निर्णय दिनांक 13.5.19 एवं न्यायालय तहसीलदार सवाईमाधोपुर के प्रकरण संख्या 341/13 दिनांक 27.2.13 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मे अपीलांट द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 27.2.13 के विरूद्व प्रथम अपील इस आशय की पेश की थी कि अपीलार्थी को ग्राम नीमली कलां की आराजी ख0न0 260 रकबा 0.50 है0 चारागाह भूमि पर अतिचारी मानते हुए अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलार्थी के विरूद्व शास्ति आरोपित कर मौके से बेंदखल करने के अतिरिक्त 90 दिवस मे सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर अपींलाट द्वारा प्रथम अपील जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ पेश की गई थी। जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की जाकर तहसीलदार सवाईमाधोपुर के निर्णय का यथावत रखने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि निर्णय अधिनस्थ हर दो न्यायालय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से लाये मन्सूखी है। निर्णय जैर अपील देने से पूर्व माननीय अधिनस्थ हर दो न्यायालय ने पत्रावली का विधिपूर्वक अवलोकन नही किया तथा कतई विधि विरूद्व निर्णय जैर अपील किया है। जो निरस्त योग्य है। अपीलांट का सम्वत 2059 मे ग्राम नीमली कलां तहसील सवाईमाधोपुर की चारागाह भूमि आराजी

Scanned by CamScanner

ख0न0 260 रकवा 0.50 है0 पर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने की गरज से सजायाब किया गया है जो गलत है। क्योकि तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु विधिवत सुनवाई व सबूत पेंश करने हेतु विधिवत नोटिस नही दिया गया है और ना ही अवसर दिया गया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के संबंध मे सम्यक जॉच नही की गई , ना ही स्वतंत्र गवाहान के बयान लिये गये एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत गलत व झूठी रिपोर्ट के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किये गये है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही था। पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही थी कि अपीलांट का पूर्व मे विवादित आराजी से किसी निर्णय द्वारा बेदखल किया गया हो और उसने पुनः कब्जा कर लिया गया हो। अधिनस्थ हर दो न्यायालयो ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व रेवेन्यू बोर्ड द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों का अवलोकन ही नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर ने खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2065 के आधार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मान लिया जो गलत है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने की शर्त ये है कि एक बार बेदखल कर दिया गया हो और पुनः उसे बेदखल कर दिया गया हो। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई थी जिसे पटवारी हल्का ने दिनांक 1.5.19 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की जो पत्रावली मे संलग्न है जिसके अनुसार मौके पर अपीलांट का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है। उक्त मौका रिपोर्ट मे यह भी दर्ज है कि सम्वत 2075 मे भी अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नही था। उक्त मौका रिपोर्ट से यह साबित था कि मौके पर अपीलांट का कोई कब्जा नही है और ना ही अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति मे आदेश अधिनस्थ हर दो न्यायालय विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। सुलभ संदर्भ हेतु सितम्बर 2001 आर आर डी पेज 401 व 402 पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर दोनो अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित निर्णयो को अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने बहस अपील मे बताया कि अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन अपीलांट को दिनांक 22.2.13 को नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 27.2.13 नियत की गई है। जिसकी अपीलांट द्वारा स्वयं तामिल प्राप्त की गई है। बाबजूद तामिल अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश नही होने की स्थिति मे पटवारी हल्का से जिरह का अवसर अपीलार्थी को नही मिला है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2065 की जॉच के उपरान्त ही अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना साबित होने पर ही अपीलार्थी के विरूद्व शास्ति आरोपित करने, मौके से बेदखल करने एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित गया गया है। अपीलांर्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष अपील विचाराधीन रहते हुए ऐसा को सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नही

Scanned by CamScanner

किया है जिससे की अपीलार्थी का पूर्ववर्ति अतिचार साबित नही होता हो। इस प्रकार दोनो अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित विधि अनुरूप होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष विद्वान अभिभाषको की बहस मे प्रस्तुत तर्को पर मनन करने व पत्रावली का अवलोकन से प्रकट होता है कि पटवारी हल्का जुवाड द्वारा ख0न0 260 पर पश्चातवर्ती अतिचारी की रिपोर्ट पर तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दिनांक 22.2.13 को नोटिस जारी किया गया। जिसमे अपीलार्थी से 27.2.13 को हाजिर होने व हेतुदर्शित करने की अपेक्षा की गई थी। नोटिस की तामिल अपीलार्थी को करवाई गई। जिससे अपीलार्थी को विधिक रूप से सूचित होना दर्शित है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण पटवारी हल्का की रिपोर्ट व भू अभिलेख निरीक्षक की अभिशंषा से स्पष्टतः प्रकट होता है। पत्रावली पर पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार को लिखी रिपोर्ट दिनांक 1.5.19 उपलब्ध है। जिसमे अतिक्रमी का कब्जा काश्त नही बताया है। चूकि पत्रावली पर कब्जा हटाये जाने की रिपोर्ट उपलब्ध है। इसलिए नरम रूख अपनाते हुए निम्न शर्तो के अधीन अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

1. ग्राम नीमली कलां की आराजी ख0न0 260 रकबा 0.50 है0 गैर मुमकिन चारागाह पर अतिक्रमण हटाने की स्वयं अपीलार्थी तहसीलदार सवाईमाधोपुर से भौतिक सत्यापन करवायेगा एवं अपीलार्थी के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत समस्त शास्ति का भुगतान किया जावेगा।
2. अपीलार्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावेगा कि उसने अतिक्रमण हटा लिया है एवं भविष्य मे कभी भी इस भूमि पर अतिक्रमण नही करेगा।

उपर्युक्त शर्ते अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर के संतोष के आधार पर इस निर्णय के 15 दिवस मे पूर्ण कर दी जाती है तो अपीलार्थी के विरूद्व पारित किया गया 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा का निर्णय अपास्त समझा जावेगा । यदि अपीलार्थी द्वारा इन शर्तो की पालना निर्धारित अवधि मे नही की जाती है तो तहसीलदार सवाईमाधोपुर एवं अपीलीय न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय यथावत रहेगे एवं इन निर्णय आदेशो को प्रभावी माना जाकर अपीलार्थी के विरूद्व कार्यवाही की जा सकेगी।

उपर्युक्त प्रेक्षणों (Observations)के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

4.10.19

(बी0एल0 रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2019.11.14 17:34:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: